न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनीय आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 01/22 (223 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या 2022/03

उनवान

1. दीपा (मृतक)
   1/1. महाराज सिंह } पुत्रगण दीपा
   1/2. भूरी सिंह }
2. गिर्राज पुत्र हरिया
3. रामश्री पुत्री हरिया
4. जलदेई पुत्री हरिया
5. रूकमणी पुत्री हरिया
6. चन्दा देवी पत्नि हरिया
7. मूली (मृतक)
   7/1. वीरी सिंह } पुत्रगण मूली
   7/2. शेर सिंह }
   7/3. केशमती वेवा मूली
8. राजवीर
9. ईन्दर } पुत्रगण चतर
10. मनोहर
11. बनै सिंह

जातियान जाट ग्राम हतीजर तह0 वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट ।

बनाम

1. सौमोती वेवा ग्यासी
2. वीरेन्द्र } पिस0 ग्यासी
3. भागमल }
4. हुक्म (मृतक)
   4/1. मुकेश } पिस0 हुक्म
   4/2. राजेश }
5. अतर सिंह (मृतक)
   5/1. लक्की
   5/2. टिंकी } पिस0 अतर सिंह
   5/3. कुलदीप
   5/4. राहुल
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वैर।

जातियान जाट ग्राम हतीजर तहसील वैर जिला भरतपुर।

..... रैस्पो0

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी वैर दि0 14.07.2011 प्र.सं. 264/2008 उनवानी सौमोती बनाम दीपा वगै0

उपस्थित :–

1. श्री नरेन्द्रपाल सिंह वकील अपीलांट।
2. श्री मोहन सिंह राणा वकील रैस्पो0।

निर्णय दिनांक–05.05.2025

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.07.2011 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 ने एक दावा विरूद्ध प्रतिवादी अपीलाण्ट अंतर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम हतीजर तहसील वैर में वादी रैस्पो0 व प्रतिवादी अपीलाण्ट राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार हैं। विवादित आराजी का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। वादी रैस्पो0 ने जब विवादित आराजी का विधिवत विभाजन कराये जाने की कहा तो प्रतिवादी अपीलाण्ट साफ इंकारी हो गये एवं विवादित आराजी में से अच्छी अच्छी आराजी पर कब्जा करने पर उतारू हो गये। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2011 से प्राथमिक डिक्री करते हुये तहसीलदार वैर से विभाजन प्रस्ताव तलव किये गये। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि प्रकरण में अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व हरिया एवं चतर की मृत्यु हो चुकी थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त व्यक्तियों के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध डिक्री पारित कर दी, जो आरम्भ से ही शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश भी बोलता हुआ आदेश नहीं है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी का भी लगाया। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उसे खारिज करते हुये, सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का निर्णय दिया। अपील जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुयी देरी को क्षमा करते हुये एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुये, पुनः विधिवत सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।
4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन ओदश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। यह है कि प्रकरण में मृतक हरिया एवं चतर के वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही रैस्पो0 द्वारा नियत समय पर कर दी गयी थी एवं उनके वारिसान भी रिकार्ड पर आ चुके थे। परन्तु संशोधित शीर्षक प्रस्तुत नहीं हो सका। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलाधीन आदेश मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पारित हुआ है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की अपील मियाद बाहर प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

की गयी है। जबकि उन्हें अपीलाधीन आदेश की पूर्ण जानकारी रही है एवं उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी का भी प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट निश्चित तौर पर मियाद बाहर है एवं मियाद के बिन्दू पर ही खारिज योग्य है। अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरबीजे 2010 पेज 289, 2016 पेज 572, 2014 पेज 700, आरआरटी 2014(1) पेज 154, 2015(1) पेज 232 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर विचार किया जाना अपेक्षित है। अपीलाण्ट ने हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2011 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 20.06.2014 को लगभग 03 वर्ष पश्चात् पेश की गयी है। मियाद के संबंध में अपीलाण्ट का कथन है कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो पायी। हमने मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 01.03.2012 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट स्वयं द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया है एवं स्वयं अपीलाण्ट के अभिभाषक भी दौराने बहस उक्त तथ्य को स्वीकार करते हैं। अतः अपीलाण्ट का यह कथन कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी, सारपूर्ण नजर नहीं आता है। अपनी स्वयं की लापरवाही के रहते अनुतोष प्राप्त करने की पात्रता क्षीर्ण होती है। अतः अपील अपीलाण्ट निश्चित तौर पर मियाद बाहर है एवं मियाद के बिन्दू पर ही खारिज योग्य है। चूंकि गुणावगुण पर भी सुनवाई की जा चुकी है। अतः उसकी विवेचना भी प्रांसगिक है। गुणावगुण पर हम पाते हैं कि प्रथम तो अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि को इंगित नहीं किया है। द्वितीय अपीलाण्ट द्वारा प्रकरण में केवल मात्र तकनीकी आपत्तियॉ उठायी गयी हैं, कि अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त मृतक व्यक्ति हरिया एवं चतर के विधिक वारिसान रिकार्ड पर आ चुके थे। जैसा कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका से एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 01.03.2012 (धारा 151 सीपीसी) से स्पष्ट है कि परन्तु प्रकरण में संशोधित शीर्षक प्रस्तुत करने से शेष रह गया। हमारी राय में मात्र संशोधित शीर्षक प्रस्तुत नहीं होने, मात्र से अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध नहीं माना जा सकता है। प्रकरण तकसीम का है एवं प्रकरण में अभी तहसीलदार वैर से विभाजन प्रस्ताव आने हैं। अपीलाण्ट विभाजन प्रस्तावो पर आपत्ति करने हेतु स्वतंत्र हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट दोनों बिन्दू (मियाद एवं गुणावगुण) पर खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.07.2011 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 05.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर